भाग III
(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव पर वन संरक्षक की अनुशंसा

14	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/ नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलंग्न करें	14	नहीं
15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	15	सहमत है।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें	16	वनमण्डलाधिकारी सा0 वनमंडल विदिशा के द्वारा भाग II में की गई अनुशंसा के आधार पर, परिक्षेत्र सिरोंज के कक्ष क्रमांक पी. 520 एवं पी. 534 में दो विंड मास्ट स्थापित करने हेतु उक्त कक्षों की कुल 2.88 हेक्टेयर वनभूमि, **VISH WIND INFRASTRUKTURE LLP Andheri (West) Mumbai, 400053** को, उपयोग पर देने हेतु व्यपवर्तन बावत् अनुशंसा की जाती हैं।

तिथि : 28 .7.2018
स्थानः भोपाल

नाम
सरकारी मोहर 28/7/18

(डॉ0 एस.पी. तिवारी)
मुख्य वन संरक्षक
भोपाल वृत्त भोपाल

E:/cf act year 2012/FCA-1980 proforma.doc

कार्यालय वन वृत्त भोपाल

खेल भवन 74बंगला, भोपाल दूरभाष 2674296 कार्या. 2674345

क्रमांक / मा.चि. / 1643 **भोपाल, दिनांक** 28 **जुलाई** 2018

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
भू–प्रबंध
म0प्र0 भोपाल

विषयः– जिला विदिशा के अंतर्गत विंड मास्ट स्थापित करने हेतु 2.88 हेक्टेयर वनभूमि, के व्यपवर्तन की अनुमति बावत्।
(ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/WIND/33948/2018)

संदर्भः– वनमंडलाधिकारी सा. वनमंडल विदिशा का पत्र क्रमांक / मा.चि. / 830 दिनांक 18 / 07 / 2018

---0---

विषयान्तर्गत **VISH WIND INFRASTRUKTURE LLP Andheri (West) Mumbai, 400053** द्वारा वनमंडल विदिशा के अन्तर्गत **दो विंड मास्ट स्थापित करने हेतु** परिक्षेत्र सिरोंज के कक्ष क्रमांक पी. 520 एवं पी. 534 की **कुल 2.88 हेक्टेयर वनभूमि, के व्यपवर्तन बावत्** वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत, अनुमति हेतु, वन मंडलाधिकारी सा0 वनमंडल विदिशा को ऑन लाईन एवं हार्ड प्रति में प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है।

वनमंडलाधिकारी, सा0 सामान्य वनमंडल विदिशा द्वारा उक्त प्रस्ताव, वनमंडल स्तर के भाग 2 की पूर्ती उपरांत दिनांक... /7/2018 को ऑन लाईन प्रस्तुत किये जाकर, प्रस्ताव की हार्ड प्रति संदर्भित पत्र के माध्यम से अपने स्पष्ट अभिमत / अनुशंसा सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई हैं।

उल्लेखनीय हैं कि सामान्यतः विंड मास्ट 2 से 3 वर्षो के लिए ही लगाये जाते हैं। प्राप्त प्रस्ताव अनुसार **विंड मास्ट स्थापित करने से कोई वृक्ष प्रभावित नहीं होंगे।** अतः प्रकरण में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि के बदले में क्षतिपूर्ति वनीकरण का कोई प्रावधान नहीं किया गया हैं।

अतः प्रकरण आपके पत्र क्र / एफ–4 / 2018 / 10–11 / 1350 दिनांक 9 / 5 / 2018 से दिये गये निर्देश अनुसार वन मंडलाधिकारी सा0 वनमंडल विदिशा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत, अनुमति हेतु, **ऑन लाईन एवं हार्ड प्रति में सहमति सहित** आगामी कार्यवाही हेतु सादर संलग्न संप्रेषित हैं।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

28/7/18

(डॉ एस.पी.तिवारी)
मुख्य वनसंरक्षक,
भोपाल वृत्त भोपाल

पृ0क्रमांक / मा.चि. / 1644 **भोपाल, दिनांक** 28 **जुलाई** 2018

प्रतिलिपिः–

1. वन मंडलाधिकारी सा0 विदिशा की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्।
2. **VISH WIND INFRASTRUKTURE LLP Andheri (West) Mumbai, 400053** की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्।

28/7/18

मुख्य वनसंरक्षक,
भोपाल वृत्त भोपाल

E:\cf act year 2012\cf act Jan 2018.doc